
 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 236/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/435) अनवान पूनमचंद उर्फ चन्दूराम व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.05.2026	<p>पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर अपील विद्गोल करने बाबत पर आज पेश हुई। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से पत्र क्रमांक:राम/न्याय/निगरानी/टी.ए./2025/8112/फलोदी/8714/ निर्णय दिनांक 24.02.2026 दिनांक 19.05.2026 के जरिये प्राप्त हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पोंडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। निगरानीधीन निर्णय दिनांक 24.02.2026 के मुताबिक माननीय मण्डल की एकल-पीठ द्वारा निगरानी जरिये विद्गो खारिज की गई है।</p> <p>अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर अपील विद्गोल करने बाबत में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान् मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। इसलिए अपीलांट हस्तगत अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उक्त अपील जरिये विद्गो फैसल फरमायी जावे।</p> <p>जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपील जरिये विद्गो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।</p> <p>उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि पक्षकारान् में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अपीलांट्स हस्तगत अपील को आगे न चलाकर जरिये विद्गो फैसल करवाना चाहते है। इसलिए न्याय हित में अपीलांट्स का निवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट जरिये विद्गो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">           राजस्व अपील प्राधिकारी          राजस्व अपील प्राधिकारी          जोधपुर       </p>	